

1. Committees & nodal officers

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

क्रमांक एफ 16-116/2005/2/चौतीस/ -सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में भागांकित किया जाता है :-

लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी
अपर सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	उप सचिव (स्थापना) लोक स्वास्थ्य यांत्रिक	सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिक

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्र. एफ 16-116/2005/2/चौतीस/ -
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल,
4. उप सचिव (स्थापना) मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल,
5. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल,
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
7. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अमेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभा

1. Committees & nodal officers

**मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय**

क्रमांक एफ 16-116/2005/2/34/3752

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के अनुसार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती है :-

क्रमांक	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	<u>उपखंड स्तर पर</u> सहायक मंत्री	उपयंत्री (मुख्यालय में पदस्थ एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नामांकित)	कार्यपालन यंत्री
2	<u>जिला स्तर पर</u> संबंधित खंड के कार्यपालन यंत्री	सभागीय लेखापाल	संबंधित मंडल के अधीक्षण यंत्री
3	<u>परिक्षेत्र स्तर पर</u> मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण यंत्री (मु.अ. द्वारा नामांकित)	लेखा अधिकारी (लेखा अधिकारी पदस्थ न होने पर मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित अधिकारी / कर्मचारी)	संबंधित मुख्य अभियंता
4	<u>प्रमुख अभियंता स्तर पर</u> अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)	संयुक्त संचालन (लेखा) (संयुक्त संचालक लेखा उपलब्ध न होने पर प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित कार्यपालन मंत्री)	प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग

(राकेश अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्र. एफ 16-116/2005/2/34/3753

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक मान् राज्य मंत्रीजी (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश भोपाल,
4. समस्त मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश।
5. समस्त अधिक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
7. समस्त सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

1. Committees & nodal officers

**मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय**

क्रमांक एफ 16-116/2005/2/34

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
संदर्भ :- शासन का समयसमयक पत्र दिनांक 05.10.2005

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के अनुसार विभाग के मंडल कार्यालयों (अधीक्षण यंत्री) हेतु निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती है :-

लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
मंडल कार्या (अधीक्षण यंत्री कार्यालय) कार्यपालन यंत्री द्वारा नामांकित सहायक यंत्री	मंडल अधीक्षक (मंडल अधीक्षक उपलब्ध न होने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित कर्मचारी)	मंडल के अधीक्षण मंत्री

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्र. एफ 16-116/2005/2/34

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक मान् राज्य मंत्रीजी (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल
 3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी म.प्र. भोपाल,
 4. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
 5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
 6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
 7. समस्त सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग